डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–42/2013

उनवान

1. हनुमान पुत्र नाथ्या जाति नायक, निवासी पावर हाऊस के पीछे, ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.)

–वादी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र भगवानसहाय यादव, जाति अहीर, निवासी सावावाली ढाणी, ग्राम खेजराली, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. एस.बी.एस. शिक्षण संस्थान गोविन्दगढ, जरिये सचिव।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 522/1990 रकबा 0.20 है0, ख0न0 524 रकबा 0.03 है0, ख0न0 525 रकबा 1.11 है0, ख0न0 508 रकबा 0.50 है0, ख0न0 523 रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि में किसी प्रकार से सींव की तोड–फोड नहीं करें और ना ही निर्माण करें, ना ही फसल आदि का नुकसान करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करें और ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन से करायें अर्थात् मौके की सथा स्थिति बनाये रखें।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.10.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–42/2013
उनवान– हनुमान बनाम श्यामलाल
निर्णय दिनांक– 31.10.2019

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–42/2013

उनवान

1. हनुमान पुत्र नाथ्या जाति नायक, निवासी पावर हाऊस के पीछे, ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.)

–वादी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र भगवानसहाय यादव, जाति अहीर, निवासी सावावाली ढाणी, ग्राम खेजराली, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. एस.बी.एस. शिक्षण संस्थान गोविन्दगढ, जरिये सचिव।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–31.10.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है। जो काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर में वादी की ऐकल खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 522/1990 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 525 रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर स्थित है। जिस भूमि को वाद–पत्र के अन्य मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। वाद पत्र उक्त वर्णित भमि विवादग्रस्त सम्पूर्ण का एक मात्र वादी खातेदार व काश्तकार है तथा वादी निरन्तर उपयोग उपभोग कर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी अपनी उक्त भूमि की सीमाओं पर नींव सींव कायम कर रखी है। वाद पत्र में वादी की वर्णित भूमि विवादग्रस्त के पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण्ण संख्या 1 ता 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 511/1 रकबा 0.42 है0, 511/2 रकबा 0.20 है0, 510 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 509 रकबा 0.13 हैक्टेयर है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पडौसी सींव जोड काश्तकार पेशा व्यक्ति है। जिन प्रतिवादीगण का वादी भूमि विवादग्रस्त की सींव से कतई कोई लेना देना नहीं रहा है। वादी की काश्त

Scanned by CamScanner

भूमि विवादग्रस्त के पश्चिम दिशा में सींव बनी हुई है। जिसको प्रतिवातीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा आये दिन तोड–फोड करते हैं तथा सींव को काटते रहते हैं एवं खड्डे खोदते है व बिना सीमाज्ञान के ही निर्माण करवाने की कुचेष्टा करते रहते हैं। दिनांक 05.03.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने एक नाजायज गिरोह बना कर कुद असामाजिक तत्वों की मदद से वादी की उक्त विवादग्रस्त भूमि की सींव को तोड–फोड करने लगे तथा सींव को दबाते हए बिना सीमाज्ञान करवाये ही नींव खोदने लगे तव वादी व उसके परिजनों द्वारा मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने ऐलानियां धमकी दी कि सींव को तोड–फोड करेंगे तथा पुख्ता निर्माण करके रहेंगे, कोई सीमाज्ञान नहीं करवायेंगे। जिस कारण वादी कोा वाद–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपनी बदनियती से वादी को हैरान व परेशान करने के लिए वादी की उक्त भूमि विवादग्रस्त के पश्चिमी दिशा में सींव को तोड–फोड कर 15–16 फीट तक भूमि को अतिक्रमित करते हुए पुख्ता निर्माण करने की कार्यवाही में लगे हुए हैं। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार हांसिल नहीं है। वादी को अधिकार हांसिल है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 वादी की आराजी भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार से पश्चिमी तरफ से सींव को तोड–फोड नहीं करे, ना ही नींव खोदे, ना ही निर्माण करें, ना ही जबरन प्रवेश करें, ना ही वादी की फसल आदि का नुकसान करें, ना ही वादी के सींव के उपयोग उपभोग करने से किसी प्रकार की रूकावट करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें, ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये व प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को वादी की विवादग्रस्त भूमि की सींव को तोड–फोड करने व निर्माण करने की इजाजत प्रदान नहीं करें, ना ही अन्य कार्यवाही करें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादी की उक्त भूमि विवादग्रस्त की पश्चिमी तरफ की सींव को बिना सीमाज्ञान कराये तोड–फोड कर देंगे व वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर खाम व पुख्ता निर्माण कर लेंगे तथा वादी को बेदखल कर देंगे। जिससे वादी के काश्तकारी व खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा व वादी की भूमि छीन जावेगी तथा वादी के साम्पतिक अधिकरों पर कुठाराघात हो जावेगा। जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति रूपयों में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। वादी विवादित भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा विवादित भूमि के पश्चिमी तरफ से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 पडौसी काश्तकार है। जिन प्रतिवादीगण का वादी काश्त भूमि की सींव से कोई लेना देना नहीं है, जो प्रतिवादी स्वयं व अपने मददगारों से गैर कानूनी रूप से सींव को नष्ट कर निर्माण कर लेना चाहते हैं। जबकि वादी निरन्तर अपनी भूमि विवादग्रस्त पर

Scanned by CamScanner

काबिज है। ऐसे में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में बखूबी साबित है। वादी को वाद–कारण दिनांक 05.03.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 भूमि विवादग्रस्ती के पश्चिमी तरफ की सींव को अपनी भूमि में मिलाने के लिए तोड–फोड करने व नींव खोद कर निर्माण करने लगे तो वादी के मना करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने वादी के साथ झगडा व मारपीट करने की कुचेष्टा कर पुख्ता निर्माण करने व सींव को हमेशा के लिए हटा कर अपने कब्जे में करने की ऐलानियां धमी दी। जिस कारण वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी होने से वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र में वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 वादी की आराजी भूमि विवादग्रस्त में किसी भी प्रकार से पश्चिमी तरफ से सींव को तोड–फोड नहीं करें, ना ही नींव खोदे, ना ही निर्माण करे, ना ही जबरन प्रवेश करें, ना ही वादी की फसल आदि का नुकसान करें, ना ही वादी के सींव के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की रूकावट करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें, ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये व प्रतिवादी संख्या 3, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को वादी की विवादग्रस्त भूमि की सींव को तोड–फोड करने व निर्माण करने की इजाजत प्रदान नहीं करें, ना ही अन्य कार्यवाही करें। खर्चा कुकदमा वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 से दिलवाया जाए। अन्य दादरसी जो हितकर वादी हो अता फरमाये।

वाद पेश होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया किन्तु दिनांक 18.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने से उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु निहित की गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 जमाबन्दी खाता संख्या 374 संवत् 2067–70, प्रदर्श–2 जमाबन्दी खाता संख्या 325 संवत् 2067–70 पेश की हैं व मौखित साक्ष्य के रूप में साक्ष्य के शपथ पत्र स्वयं वादी हनुमान व गवाह श्री मूलचन्द यादव पुत्र छोटूराम यादव व रामलाल पुत्र छोटूराम के पेश किये गये हैं।

Scanned by CamScanner

वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें मुख्य रूप से अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया व वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मूल जमाबन्दी विवादित खसरा नम्बर 522 / 1990, 524, 525, 508, 523 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर के अनुसार वादी हनुमान पुत्र नाथ्या जाति नायक की खातेदारी भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 522 / 1990 रकबा 0.20 है0, ख0न0 524 रकबा 0.03 है0, ख0न0 525 रकबा 1.11 है0, ख0न0 508 रकबा 0.50 है0, ख0न0 523 रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि में किसी प्रकार से सींव की तोड–फोड नहीं करें और ना ही निर्माण करें, ना ही फसल आदि का नुकसान करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करें और ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन से करायें अर्थात् मौके की सथा स्थिति बनाये रखें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.19 14:16:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: